प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस

(1). आज दिनाँक 29.01.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.01.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा पुत्र छोटेलाल 2. धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र दुर्गा प्रसाद 3. मिथलेश कुशवाहा पुत्र मिठ्ठूलाल 4. लल्लू कुशवाहा पुत्र बउवा निवासी रानीपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 4100/- रुपये व 52 ताश के पत्ते जामा तलाशी से 400/- रुपए बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. मालफड़ 4100/- रुपये व 52 ताश के पत्ते

2. जामातलाशी से 400/- रुपए

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी खोही परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी शिवपूजन यादव
3. आऱक्षी अभिषेक यादव
4. आरक्षी अतुल परिहार
5. आरक्षी अनुज यादव

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय तथा उनके हमराही आरक्षी प्रदीप कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चित्रकूट श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री संजय कुमार V द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित तथा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2017 धारा 376डी,366,120बी,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. बसंतलाल पुत्र रामबहादुर 2. योगेश उर्फ उगेश पुत्र उमाशंकर शुक्ला निवासीगण खोर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदण्ड 3. आरोपी अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र रामबहादुर निवासी खोर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड 4. आरोपी अभियुक्त अजय गुप्ता पुत्र छोटेलाल उर्फ अमृतलाल निवासी खोर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी अभियुक्त 5. अमृतलाल उर्फ छोटेलाल बनिया पुत्र माताबदल निवासी खोर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 18.09.2017 को वादी द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी थी कि बसंतलाल, फलचन्द्र उपरोक्त ने उनके घर में घुसकर उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 166/2017 धारा 363,452,504,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा द्वारा की गयी द्वारा की गयी थी। दिनाँक 18.10.2017 को पीड़िता को बरामद किया गया। 21.10.2017 को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 20.12.2017 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 376डी,366,504,506 भादिव में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षकचित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा त्वरित ट्रायल करते हुये पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2023 धारा 376 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त सोनू रैदास पुत्र कैलाश निवासी

आजाद पुरवा मजरा खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ट्रायल के मात्र 27 दिन में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 05.12.2023 को वादी द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी थी कि अभियुक्त सोनू रैदास उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 286/2023 धारा 376 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना निरीक्षक अपराध श्री प्रभनाथ यादव द्वारा की गयी विवेचक द्वारा सूचना के ही दिन दिनांक 05.12.2023 को ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था तथा सूचना के चौथे दिन दिनाँक 08.12.2023 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य एवं पैरोकार आरक्षी हरेन्द्र कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे. एम मऊ सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 122/2017 धारा 354,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेन्द्र कोल पुत्र भोलई कोल निवासी हरदी कला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 04.10.2017 को वादिया द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी थी कि अभियुक्त राजेन्द्र कोल उपरोक्त द्वारा छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी है। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 122/2017 धारा 354,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री प्रेमाराम द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दिनाँक 02.12.2017 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(7). पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा प्रशासनिक आधार पर दूसरे जेल से जिला जेल चित्रकूट में आये अपराधी अब्बास अंसारी द्वारा कुछ स्थानीय लोगों को अपराध में शामिल कर एक नये संगठित गिरोह के माध्यम से आपराधिक गतिविधियां करने वाले,गिरोह का पर्दाफाश कर इनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर वाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

गहराई से छानबीन के उपरान्त जनहित एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत इस गैग के विरूद्ध आज गैगेस्टर एक्ट का अभियोग दर्ज विवेचना आरम्भ कर दी गयी है। अभियुक्त 1 . अब्बास अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी निवासी युशुफपुर थाना मोहमदा बाद जिला गाजीपुर 2.नवनीत सचान पुत्र सतेन्द्र निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3. नियाज अंसारी पुत्र मुन्ना निवासी खेतीपुर कंशराय पट्टी थाना खेतीपुर जिला गाजीपुर 4.फराज खाँ पुत्र मुन्ने खाँ निवासी द्वारिकापुरी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 5. शहबाज आलम खाँ पुत्र आलम निवासी अर्दली बाजार थाना कैंट जिला वाराणसी के विरुद्ध मु0अ0सं0 79/2024 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली कर्वी पर पंजीकृत किया।